147

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 854–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2001 – पारित व्दारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर – प्र0क्र0 35 अ–2/2000–01 अपील

प्रसन्न कुमार पुत्र स्व.बाबूलाल नायक
सेवा निवृत्त बन संरक्षक निवासी
बाजार वाई गढ़ा कोटा तहसील बड़ाकोटा
जिला सागर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 19 – 12 –2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 35 अ–2/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–11–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीक्षक भू अभिलेख डायवर्सन ने अनुविभागीय अधिकारी रहली को प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया कि आवेदक ने मौजा गढ़ाकोटा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 22/33 बंदोवस्त के वाद बदला हुआ सर्वे नंबर 579 के 1,17,599 वर्गमीटर क्षेत्र का पुर्ननिर्धारण कराये बिना भूमि का मद परिवर्तित कर लिया है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी रहली ने प्रकरण क्रमांक 246 अ-2/1987-88 एंव 67 अ-2/90-91 में पारित आदेश दिनांक 30-4-91 से कर निर्धारण अधिरोपित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सागर के समक्ष अपील क्रमांक 1 अ-2/1992-93 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 12-10-2000 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 35 अ-2/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2001 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी रहली ने वाद विचारित भूमि को आवेदक व्दारा पड़त कर देने पर शासन व्दारा निर्धारित प्रमाणित दर पर कर निर्धारण किया है तथा अपर कलेक्टर सागर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का परीक्षण कर उनके व्दारा की गई कार्यवाही एंव अपनाई गई प्रक्रिया को उचित माना है जिसके कारण आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 35 अ-2/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2001 में अनुविभागीय

अधिकारी रहली के आदेश को एंव अपर कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 12-10-2000 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । आवेदक के अभिभाषक विचाराधीन निगरानी में किसी महत्वपूर्ण तथ्य अथवा अभिलेख के आधार पर यह समाधान नहीं करा सके हैं कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 35 अ-2/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर